(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरु किया गया; और

(ग) निर्माण-कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार):

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजपूताना राइफल्स के पास से "झांसी की रानी" के झंडे का गुम हो जाना

1192. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजपूताना राईफल्स की सुरक्षा में रखा गया झांसी की रानी का झंडा रहस्यमय ढंग से गुम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) और (ख) झांसी की रानी का झंडा जिसे 1857 में कब्जे में लिए जाने का दावा किया गया था, 5 राजपूताना राइफल्स के पास था। इस झंडे को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसे अक्तूबर, 1977 में राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, दिल्ली छावनी में भेज दिया गया क्योंकि इस बटालियन को युद्धक्षेत्र में जाना था। 1980 में यूनिट द्वारा झंडा वापस लेने की मांग किए जाने पर वह नहीं मिल पाया।

1980 में यूनिट की एक जांच अदालत और 1982 में एक स्टाफ जांच अदालत बिठाई गई परन्तु वह झंडे का पता नहीं लगा सकी हालांकि इसमें कतिपय अफसरों द्वारा की गई चूकों का उल्लेख किया गया था। तद्नुसार, सेनाध्यक्ष द्वारा मामला बंद कर दिया गया। बाद में सरकार ने मामले की समीक्षा की और उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया। ब्यूरो ने 1988 में मामला दर्ज किया और उसकी व्यापक जांच की। इंटरपोल तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, विशेषकर ब्रिटेन स्थित दूतावास के माध्यम से भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूछताछ की गई परन्तु झंडे के बारे में कोई प्रमाण या सुराग नहीं मिला। परिणामतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामला बंद कर दिया और आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 173 के अंतर्गत मामला बंद करने के लिए चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली की अदालत में रिपोर्ट दर्ज की। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा झंडे का पता नहीं लगाया जा सका या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सका इसलिए 1991 में सरकार के पास मामले को बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा गया था।

Unauthorised Water connections in Kanpur Cantonment Board

1193. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the lapses of Kanpur Cantonment Board in checking and preventing the menace of unauthorised water connections have been causing huge loss of revenue to the Board ;

(b) whether the Kanpur Cantonment Board has been neglecting to recover proper rates and taxes from the residents in order to increase the quantum of Grant-in-Aid from the Central Government ;

(c) whether unauthorised building constructions are also gaining support from a section of the employees of the Board ; and

(d) what immediate steps are to be taken for checking of such lapses ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) Arrangements exist for regular checks to prevent unauthorised water supply connections. If and when such instances come to notice, the connections are immediately cut off and legal action taken against the offenders, for theft of water.

(b) Govt. do not have any informatiton to suggest that there is any laxity in the assessment or collection of rates and taxes in Kanpur.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Pentagon Papers on India as Hegemonic Power

1194. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that Pentagon Papers (USA) have described India as a hegemonic power ;

(b) whether this was taken up by the Defence Minister with USA during his recent visit ; and

(c) whether USA has disowned the said assessment in its policy ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) Government is aware of newspaper reports highlighting the contents of the so-called Pentagon Papers.

(b) Yes, Sir.

(c) High level officials in the US Administration explained that the newspaper story was a clever destortion and an incorrect epresentation of US policy.

हिमाचल प्रदेश में अबेरी में छावनी की स्थापना किया जाना

1195. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में अबेरी में छावनी बनाए जाने के संबंध में एक सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ग) इस कार्य के लिए कितनी भूमि अर्जित करने की योजना थी; और

(घ) इस मामले की अद्यतन स्थिति क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Conversion of Leased Defence Lands into Free Hold

1196. SHRIMATI PRATIBHA SINGH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1250 given in the Rajya Sabha on 5th March, 1992 and state :

(a) what are the differences between land held under old grant terms and that held under lease in Cantonments ;

(b) what are the details of Cantonment Land Administrative rules serial-wise; and

(c) what are the names and designation of the officials empowered for conversion of land from old grant terms/leased into freehold in Delhi Cantonment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND